Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–...19 /2020

अनवान तहसीलदार बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2020	तहसीलदार उपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act, 1956 के तहत् पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा–गुड़ा हेमड़ाई व सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1633 कुल रकबा 30–05 बीघा किस्म गै.मु.पहाड एवं खसरा नम्बर 942 कुल रकबा 15400–17 बीघा किस्म गै.मु.पहाड़ जमाबंदी में दर्ज हैं। मौके पर उक्त भूमि 2 भागों में विभक्त होने से सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वन टू वन मिलान करने हेतु रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही हैं। नक्शे में खसरा नम्बर 1633 रकबा 33–05 बीघा का नक्शा बड़ा (2100–00 बीघा) दर्शाया गया है जबकि खसरा नम्बर 1633 का रकबा 30–06 बीघा ही हैं। एवं खसरा नम्बर 942 रकबा 16000–00 बीघा (15400–17+ 600 बीघा आबंटन बट्टा सहित) का रकबा नक्शे में कम दर्ज हैं। नक्शे में दर्शित खसरा नम्बर 1632 व 1634 के बीच का भाग जो खाली पड़ा है उसमें खसरा नम्बर 1633 रकबा 30–05 बीघा रेकर्ड अनुसार दर्शाया जाकर खसरा नम्बर 942 व 1633 के बीच की माठ को हटाते हुए खसरा नम्बर 942 में शामिल किया जाना हैं। तो खसरा नम्बर 942 व 1633 का रकबा रेकर्ड अनुसार दुरस्त हो जायेगा। अतः प्रस्तावित प्रस्ताव मुताबिक खसरा नम्बर 1633 की स्थिति को दर्शाने एवं खसरा नम्बर 942 व 1633 के बीच की माठ हटाई जाकर रकबें के अनुरूप कायम की जानी उचित हैं। प्रस्तुत प्रा. पत्र मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का सेवरियां की जांच रिपोर्ट व नक्शा लट्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर 942 व 1633 की स्थिति का अवलोकन करने पर पाया कि रेकर्ड जमाबंदी में खसरा नम्बर 942 का रकबा 16000 बीघा दर्ज हैं। मगर उक्त खसरे का नक्शा लट्ठा ट्रेस देखने पर काफी छोटा एवं रकबें के अनुरूप नहीं होना पाया, तथा खसरा नम्बर 1633 का जमाबंदी में रकबा 30–05 बीघा दर्ज हैं जबकि नक्शा लट्ठा ट्रेस काफी बड़ा दर्शाया गया हैं। जो प्रथम दृष्टियां ही यह प्रतीत हो रहा हैं कि दोनों खसरों की सीमाओं में अंतर हैं। तथा जमाबंदी में रकबे के अनुरूप नक्शे की सीमाओं का मिलान नहीं हो रहा हैं। जिससे रेकर्ड एवं मौका स्थिति में भिन्नता आ रही हैं। मिशल बंदोबस्त अनुसार रकबा के अनुरूप स्थिति करने के लिए नक्शे की सीमाओं में दुरुस्ती किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। मौजा–गुड़ा हेमड़ाई व सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.न. 942 व 1633 जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार नक्शे में खसरों की सीमाओं में इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार नक्शे में दोनों खसरों के बीच की माठ को निरस्त करते हुए प्रस्तावित प्रस्ताव अनुरूप सीमाऐं अंकित की जावें। पृथक से आदेश जारी हो जो पत्रावली का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना, मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण	174 12/2/20

Scanned by CamScanner

क्रमांक/कोर्ट/2020/

निर्णय दिनांकः–06/02/2020

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या......19......./2020

अनवान तहसीलदार बनाम राजस्थान सरकार

आदेश

(अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल–**सेवरियां** व भू.अ. निरीक्षक–रास की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जैतारण की अनुशंषा, खातेदारान् की प्रार्थना के आधार पर तहसील क्षेत्र जैतारण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भू–अभिलेखों की डिजिटाईजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा एवं मौका स्थिति की अनुरुपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरुप तरमीम कार्य में उत्पन्न अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में ग्राम–**सेवरियां व गुडाहेमडाई**, तहसील–जैतारण, जिला–पाली की जमाबन्दी संवत् 2073–2076, 2072–2075 में निम्नलिखित खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर नक्शा लट्ठा ट्रेस खसरों की सीमाओं में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत् नक्शा शुद्धि करना

नाम ग्राम–सेवरिया व गुडाहेमडाई पटवार मण्डल – सेवरियां, भू.अ.नि. – रास तहसील–जैतारण, जिला–पाली

वर्तमान खाते का विवरण					शुद्धि की प्रविष्टि	
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण	वर्तमान नक्शा	प्रस्तावित नक्शा दुरुस्ती
1 सेवरियां	942 व 942 के बट्टा नम्बर	16000 बीघा	गै.मु. व बारानी	राजस्थान सरकार व आबंटी खातेदार	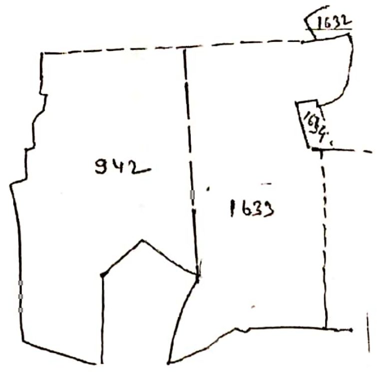	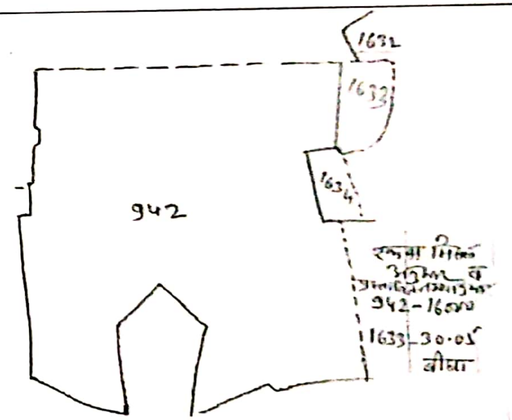
1 गुडा हेमडाई	1633	30-05 बीघा	गै.मु. पहाड़	राजस्थान सरकार		

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.18 11:28:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: